राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन
भोपाल (म.प्र.)–462004

क्र. 215 / 22 / वि–9 / आरजीएम / 2013 भोपाल, दिनांक 08 / 01 / 2013

आदेश

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के आदेश क्रमांक / 8141 / 22 / वि–9 / आरजीएम / आई.डब्ल्यू.एम.पी. / स्था. / 2012 दिनांक 19.06.2012 के अनुक्रम में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, के अतर्गत जिला एवं परियोजना स्तर पर कार्यरत संविदा पर नियुक्त विभिन्न दायित्वों के निर्वहनकर्ता का मासिक मानदेय को पुनरीक्षित कर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

क्र	पद / दायित्व का नाम	वर्तमान मानदेय / प्रतिमाह	पुनरीक्षित मानदेय प्रतिमाह
1	परियोजना स्तर पर टीम लीडर	16,200 / –	23,500 / –
2	परियोजना स्तर पर टीम सदस्य	13,050 / –	19,575 / –
3	जिला स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञ / जिला परियोजना समन्वयक	20,250 / –	30,000 / –
4	जिला स्तर पर लेखापाल	8,100 / –	11,000 / –
5	जिला स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर	8,100 / –	11,000 / –

टीम सदस्य के रूप में जिला स्तर से नियुक्त सिविल अभियंता का भी मानदेय टीम सदस्य के समतुल्य होगा बशर्ते कि सिविल अभियंता की शैक्षणिक योग्यता बी.ई. हो और अगर सिविल अभियंता डिप्लोमाधारी हैं तो उनकी नियुक्ति दो वर्ष के अनुभव उपरांत की गई हों।

यद्यापि आईडब्ल्यूएमपी अंतर्गत परिपत्र क्र. 7 के अनुसार बगैर अनुभव के डिप्लोमाधारी सिविल अभियंता की नियुक्ति नहीं की जा सकती परन्तु अगर भविष्य में बगैर अनुभव के डिप्लोमाधारी सिविल अभियंता की नियुक्ति की अनुमति मिशन मुख्यालय से दी जाती हैं तो वैसी स्थिति में उनका मानदेय इस आदेश द्वारा पुनरीक्षित टीम सदस्य के मानदेय से 1500 / – प्रतिमाह कम दिया जायेगा।

जिला स्तर से नियुक्त विभिन्न दायित्वों के निर्वहनकर्ता का मानदेय जिला स्तर की संस्थागत व्यवस्था मद से एवं परियोजना स्तर के दायित्व निर्वहनकर्ता के मानदेय परियोजना स्तर के प्रशासनिक मद में विकलनीय होगा।

यह पुनरीक्षण आदेश दिनांक 01.01.2013 से प्रभावशील रहेगा।

(अरूण कुमार)
संचालक
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र / 216 / 22 / वि–9 / आरजीएम / 2013 भोपाल दिनांक 08 / 01 / 2013

प्रतिलिपि :–

1. उप सचिव मध्यप्रदेश, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का ज्ञापन क्रं.8141 / 22 / वि–9 / आरजीएम / आई.डब्ल्यू.एम.पी. / स्था. / 2012 दिनांक 19.06.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. आयुक्त, (समस्त) संभागीय कार्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर एवं मिशन लीडर, समस्त की ओर सूचनार्थ
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संचालक
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
मध्यप्रदेश, भोपाल